

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सुखाराम

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद,

नम्बर :- 112/2023

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुक्म
की तागील
में जारी
हुए

13.06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान बैड़कलां में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर्ड हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-बैड़कलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 359/1, 360/1 रकबा 1.7320 हैक्टर में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सुखलाल पुत्र गुणिया दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में सुखाराम पुत्र गणेशराम हैं, प्रार्थी ने अपना नाम सुखलाल पुत्र गुणिया के स्थान पर सुखाराम पुत्र गणेशराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान बैड़कला में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। भू. अ. निरीक्षक बैड़कलां व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें ख.नं. 359/1, 360/1 रकबा 1.7320 हैक्टर संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सुखलाल पुत्र गुणिया दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में सुखाराम पुत्र गणेशराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम सुखलाल पुत्र गुणिया के स्थान पर सुखाराम पुत्र गणेशराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। भू. अ. निरीक्षक बैड़कलां व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा-बैड़कला पटवार हल्का बैड़कला में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 180 रकबा 0.813 हैक्टर, ख. नं. 181, 188 रकबा 9.5729 हैक्टर में प्रार्थी का नाम सुखलाल पुत्र गुणिया अशुद्ध रूप से दर्ज है को विलोपित करते हुये प्रार्थी का शुद्ध नाम सुखाराम पुत्र गणेशराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(SDO) नन्दर विष्णोई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलेक्टर जैतारण (पाली)

